हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

नीट पी0 जी. एम0डी0एस0 2025 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउसिंलिंग (तृतीय चरण) अग्रिम शिक्षण शुल्क (Advance Tuition Fee) जमा करने एवं प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure) सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना

Procedure for admission(Already admitted students)

Seat upgraded from Private Dental college to Private Dental college	1. Download allotment letter directly 2. Report to admitted college 3. Complete seat withdrawal formalities 4. Report to new allotted college with withdrawal letter and allotment letter to new medical college 5. Extra amount of advance tuition fee will be refunded by the University after completion of all round of Counselling
Old college retained seat Upgraded (Permitted to Recognized) (Recognized to Permitted)	1. Download allotment letter directly 2. Submit to already admitted college
Old seat retained	No action is required

Procedure for admission(New Admission)

Step 1	Login to website with your login ID
Step-2	Download allotment letter using your login ID
Step 3	Pay the advance tuition fee as per allotted college & Quota and Branch
Step 4	Download advance tution fee receipt online using your login ID. Download the fee receipt
Step 5	Report to allotted college with tuition fee receipt and other required documents enlisted below
Step 6	Balance amount of tution fee and other applicable fee to be paid directly to college. For details contact the allotted college
Step 7	Collect your admission letter from the college.

- काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा आन–लाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी समस्त सूचनाओ के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है। यह आवंटन प्रथम दृष्टया अस्थाई **(Provisional)** है।

- अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आवंटित सीट का **Allotment Letter** विश्वविद्यालय की बैवसाईट पर दिये गये लिंक से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।
- अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि केवल **online (Net banking/Debit/Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan)** के माध्यम से ही ली जायेगी, अन्य किसी माध्यम यथा नकद/चैक/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. आदि से स्वीकार्य नही होगी।
- विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा की जाने वाली अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि का विवरणः—
-

S. NO.	COLLEGE NAME	TUITION FEE IN RUPEES					Payment Mode
		STATE QUOTA			ALL INDIA- ANAGEMENT QUOTA		
		WITH BOND	WITHOUT BOND				
			CLINICAL	NON-CLINICAL	CLINICAL	NON CLINICAL	
3	All dental Colleges Fee		300000/-	300000/-	300000/-	300000/-	Net Banking/Debit/ Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan

Note:

1. **Balance Amount of Tuition Fee and other applicable fees (Hostel, Mess etc)to be paid at the allotted college at the time of admission**
2. **Details of Clinical and Non clinical subject (MDS)**

Clinical	Non Clinical
Conservative Dentistry-1 Orthodontics,Pedodontics, Periodontology, Prosthodontics,Conservative Dentistry, Orthodontics-	Oral Medicine and Radiology, Oral Pathology

- अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम शिक्षण शुल्क जमा करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा आवंटित हुयी सीट पर संबंधित आवंटित संस्थान में प्रवेश लेने हेतु व्यक्तिगत रुप से संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश के समय पाठ्यक्रम की अपनी अर्हता के संबंधित समस्त वाछित अभिलेखों (नीट स्कोर कार्ड/इर्न्टनशिप प्रमाण पत्र/शैक्षिक/श्रेणी/उपश्रेणी/मूल/स्थाई निवास (Domicile) प्रमाण पत्र इत्यादि को मूल में संबंधित आवंटित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या के सम्मुख अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेगें।
- सम्बन्धित आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किये जाने वाले अग्रिम शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्थानवार आवश्यक अन्य शुल्क यथा शेष शिक्षण शुल्क धनराशि, प्रवेश शुल्क, धरोहर धनराशि, मैस शुल्क, छात्रावास शुल्क, क्रीडा शुल्क इत्यादि सम्बन्धित संस्थान स्तर पर ही जमा किये जायेंगें, जोकि सम्बन्धित संस्थान विशेष के पक्ष में ही देय होगें। कृपया अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वैब साईट के अन्य लिंक **Documents related to college wise fee details** तथा **contact details** पर संस्थान विशेष के सम्बन्धित अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या के समक्ष संबंधित वांछित अभिलेख प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनांक 20.08.2025) तक उपलब्ध नही करवा पाता है अथवा उसके द्वारा प्राचार्य/प्राचार्या के सम्मुख प्रस्तुत किये गये अभिलेखो की जॉच से यह ज्ञात होता कि अभ्यर्थी संबंधित निर्धारित मानकानुसार अर्हता नही रखता है, तो उसकी आवंटित सीट को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

- नीट पी0जी0 2025 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा सूचना भरी गयी थी, अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है।
- *काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र–छात्रा को प्रवेश लिये जाने के समय समस्त वाछित आवश्यकीय मूल शैक्षणिक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ,श्रेणी–उपश्रेणी/एन0ओ0सी0, इर्न्टनशिप प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों से अभ्यर्थी की संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्हता का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अतः संबंधित संस्थान अभ्यर्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी अर्हता सुनिश्चित करनें के उपरान्त ही प्रवेश दे।*
- पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, प्रमाण पत्रो (जाति/उपजाति/स्थाई/मूल निवास/शैक्षिक योग्यता इत्यादि) के संबंध में सूचना विवरणिका में प्रकाशित नियम/शर्तें ही मान्य होगी। प्रवेश हेतु अमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही किये जायेगें और ना ही प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य होगा।
- पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, प्रमाण पत्रो (जाति/उपजाति/स्थाई/मूल निवास/शैक्षिक योग्यता इत्यादि) के संबंध में सूचना विवरणिका में प्रकाशित नियम/शर्तें ही मान्य होगी। प्रवेश हेतु अमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही किये जायेगें और ना ही प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य होगा।
- तृतीय चरण काउसिलिंग में प्रवेश लिये जाने हेतु अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 20.08.2025 है। इस तिथि के पश्चात तृतीय चरण में आवंटित छात्र–छात्राओं की प्रवेश कार्यवाही नही की जायेगी तथा प्रवेश ना लेने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा जमा धरोहर धनराशि **(Security fee)** भारत सरकार/एन0एम0सी0/एम0सी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त **(forfeit)** की ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे चरण की काउसिलिंग हेतु अर्ह नही होगें।
- ऐसे अभ्यर्थियों का तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **नही हुयी है** की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। परन्तु ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ने का अधिकार नहीं होगा।

प्रथम बार सीट आवंटित छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रियाः–

* ऐसे छात्र–छात्राये जो प्रथम बार आवटित सीट पर प्रवेश लेगे उनके द्वारा भी प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी होगी।

तृतीय बार सीट आवंटित छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश प्रक्रियाः–

* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हें तृतीय काउन्सिलिगं चरण में प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरुप नवीन सीट आवटित हुयी है, के द्वारा यदि उपरोक्त तालिका अनुसार वाछित अग्रिम शुल्क धनराशि (तृतीय चरण में आवटित सीट के अनुसार) से अधिक अथवा बराबर धनराशि पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है, तो उन्हे कोई अतरिक्त धनराशि अग्रिम शिक्षण शुल्क के रुप में नही जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल अभिलेख प्राप्त करते हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें। तत्पश्चात वे नवीन आवटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मूल अभिलेखो एवं पूर्व में जमा अग्रिम शुल्क धनराशि की रसीद सहित व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें। छात्रों द्वारा अधिक जमा अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि (यदि हो तो) को सम्पूर्ण चरणो की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एक माह के

उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः आनलाईन वापस कर दिया जायेगा।

* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हे तृतीय चरण काउन्सिलिगं में प्रथम चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर अन्य किसी संस्थान में अपग्रेड होने के फलस्वरुप सीट आवटित हुयी है, के द्वारा यदि उपरोक्त तालिका अनुसार वाछित अग्रिम शुल्क धनराशि (द्वितीय चरण में आवटित सीट के अनुसार) से कम (न्यून) धनराशि पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है तो उन्हे वाछित अतिरक्त अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि द्वितीय चरण में आवटित सीट हेतु वाछित धनराशि तथा प्रथम चरण में प्रवेश के समय जमा अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि का अन्तर को नवीन आवंटित संस्थान में अनिवार्य रुप से जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से पूर्व प्रवेशित संस्थान में उपस्थित होकर अपने जमा समस्त मूल अभिलखो प्राप्त करतें हुये कालेज स्तर अपग्रेड होने का प्रचार्य/सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें। तत्पश्चात वे नवीन आवटित संस्थान में उक्तानुसार प्राप्त मलू अभिलेखो एवं पूर्व में जमा तथा वाछित अतिरिक्त जमा नवीन शुल्क धनराशि की रसीद सहित व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी शेष प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें।
* ऐसे छात्र–छात्राऐ जिन्हें तृतीय काउन्सिलिगं चरण में प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित सीट से अपग्रेड होकर उसी संस्थान में आवंटित श्रेणी (क्षैतिज/उर्ध्व) में परिवर्तन (अपग्रेड) अथवा आल–इण्डिया–मैनजेमेन्ट कोटे से राज्य कोटे मे अपग्रेड होने के फलस्वरुप नवीन सीट आवटित होती है, के द्वारा कोई अतिरक्त धनराशि अग्रिम शिक्षण शुल्क के रुप में नही जमा करानी होगी। ऐसे छात्र सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वैबसाईट से अपना Allottment Letter डाउनलोड कर उसका प्रिट आउट निकाल लें। तदोपरान्त व्यक्तिगत रुप से आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्दर अपना डाउनलोड Allottment Letter संस्थान मे जमा करते हुये अपनी प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करेंगें।
* पूर्व में प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित जिन अभ्यर्थियों का तृतीय चरण में किसी अन्य संस्थान में सीट अपग्रेडेशन नही हुआ है, उन्हे कोई भी कार्यवाही नही करनी है। उनका पूर्व आवटित संस्थान में प्रवेश यथावत रहेगा।

- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य शेष नियम व शर्तें Information Bulletin के ADMISSION PROCEDURE के अनुसार यथावत रहेंगी।

ADMISSION PROCEDURE

The following documents are required to be uploaded for confirmation of admission, however the college may demand more documents or affidavit as per their requirement:-

1. High School (10th) Certificate for Age proof.
2. Intermediate (10+2) Mark sheet.
3. NEET MDS 2025 Admit Card
4. NEET MDS 2025 Rank letter/Score Card.
5. MBBS Degree Provisional/Permanent.
6. Internship Completion certificate.
7. Registration Certificate with State Medical/NMC/DCI.
8. Certificate of Reserve Category, if applicable.
9. Certificate of Sub Category, if applicable.
10. PDW category certificate issued by the Special Medical Board constituted by the Director General Medical Health & Family welfare, Uttarakhand only, if applicable.
11. Domicile Certificate (For Uttarakhand candidate only and seat is allotted in a category /sub category)
12. Valid ID proof {Aadhar card (Preferably), Voter card, Passport, Driving Licence, etc}.
13. NOC from DG Health & Family Welfare Uttarakhand/Competent Authority for regular PMHS Uttarakhand candidate.
14. NOC from competent authority for all in-service regular candidates other than PMHS of Uttarakhand candidates.

15. NOC from Competent Authority (DG Health & Family Welfare Uttarakhand) for the student serving under Bond.
15. Allotment letter printout
16. Other document as per the requirement of the concerned college (Kindly visit the college website or contact the concerned nodal person)

- After doing the above mentioned formalities/procedure, the admission process will only be completed once the candidate gets the admission letter issued by the concerned college within the specified time period mentioned in the allotment letter. Hence, the candidates are required to make necessary arrangement from his/her side well in time to complete the whole admission process within the specified time period of that particular round.
- Candidates who have deposited their original documents with any other Institute/ College/ University and come for admission with a certificate stating that "their original certificates are deposited with the Institute / College / University" will **NOT** be allowed to take admission in allotted Medical/Dental College.

- शेष नियम व शर्ते Information Bulletin में वर्णित प्राविधानुसार यथावत रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे Information Bulletin का भली भॉति अध्ययन कर लेवे।
- भविष्य में प्रवेश/काउंसिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाऐ/अपडेट समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन अवश्य करते रहें।
- आगामी चरण (यदि कोई हो) काउन्सिलिंग कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

नोटिस प्रकाशन तिथि – 18.08.2025

सदस्य सचिव
नीट पी0जी0 2025
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउसिलिंग बोर्ड